



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2014/फल्गुन 6, 1935

No. 48]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2014/PHALGUNA 6, 1935

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

मध्यावधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश

सं. 23/17/2013-आर एंड आर (खंड-III).—जबकि केंद्र सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार विद्युत उत्पादन के सुव्यवस्थित विकास के लिए एक सक्षम नीति और विनियामक वातावरण तैयार करने में लगी हुई है;

जबकि प्रतिस्पर्धात्मक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विद्युत विनियामक आयोगों और वितरण लाइसेंस धारकों के लिए आवश्यक है;

जबकि केंद्र सरकार ने विभिन्न पणधारकों और विशेषज्ञों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, विद्युत उत्पादकों से, वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए एक आदर्श संविदात्मक ढांचा तैयार किया है जो मध्यावधि व्यस्ततम विद्युत की आपूर्ति के लिए "वित्त, स्वामित्व और प्रचालन ("एफओओ") आधार पर स्थापित विद्युत उत्पादन स्टेशनों का निर्माण और/अथवा प्रचालन करने के लिए सहमत हों।

जबकि केंद्र सरकार ने अपने पत्र सं. 23/17/2013-आर एंड आर (खंड-III) दिनांक 20 फरवरी, 2014 के माध्यम से मॉडल दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें मॉडल पात्रता अनुरोध ("एमआरएफव्यू") मॉडल प्रस्ताव अनुरोध ("एमआरएफपी") और मॉडल व्यस्ततम विद्युत अधिप्राप्ति करार ("एमएपीपीपी") (संयुक्त रूप से, "मानक बोली दस्तावेज") शामिल हैं जिसे एफओओ आधार पर निर्माण किए गए और/अथवा प्रचालित किए गए विद्युत उत्पादन स्टेशनों से न्यूनतम प्रशुल्क के प्रस्ताव पर आधारित खुली और पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपर्युक्त विद्युत उत्पादकों से मध्यावधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाया जाना है,

इसलिए अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इन दिशानिर्देशों को अधिसूचित करती है जिन्हें वित्त, स्वामित्व, प्रचालन (एफओओ) आधार पर स्थापित विद्युत स्टेशनों से मध्यावधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु दिशा-निर्देश ("दिशानिर्देश") के रूप में जाना जाएगा। ये दिशा-निर्देश निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन रहते हुए इसकी तारीख से प्रभावी होंगे:

1. उपरोक्त मॉडल बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तें, संदर्भ द्वारा इन दिशा-निर्देशों का भाग होगी और इन्हें इसी रूप में माना जाएगा ।
2. इन दिशा-निर्देशों का लागू किया जाना एक और पाँच वर्षों की अवधि के लिए पारस्परिक सहमति से आरंभिक करार अवधि 25% से कम के लिए और एक वर्ष के लिए इस अवधि को बढ़ाने के प्रावधान सहित विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए करार के अनुसार निर्मित और/अथवा प्रचालित परियोजनाओं तक ही सीमित होगा ।
3. मॉडल बोली दस्तावेजों को शामिल करते हुए इन दिशा-निर्देशों के आधार पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रशुल्क अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग द्वारा अपनाया जाएगा ।
4. मॉडल बोली दस्तावेजों से कोई विचलन केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा । बशर्ते यह कि मॉडल बोली दस्तावेजों में अभिव्यक्त रूप से अनुमति दिए गए किसी परियोजना विशेष संशोधनों का अर्थ मॉडल बोली दस्तावेजों से विचलन के रूप में ही लगाया जाएगा ।
5. मामला-1 और मामला-2 परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजों सहित समय-समय यथासंशोधित, 19 जनवरी, 2005 को जारी वितरण लाइसेंस धारकों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश को एतद्वारा निरसित किया जाता है जहाँ तक कि वे मध्यावधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की अधिप्राप्ति से संबंधित है । बशर्ते यह कि इस तारीख से पूर्व हस्ताक्षर किया गया कोई भी करार या की गई कोई भी कार्रवाई 2005 के उक्त दिशा-निर्देशों के ऐसे निरसन द्वारा प्रभावित नहीं होगी और इसके अंतर्गत निरसित दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती रहेंगी ।

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 24th February, 2014

Guidelines for Procurement of Peaking Power for medium term

No. 23/17/2013-R&R (Vol-III).—Whereas the Central Government is engaged in creating an enabling policy and regulatory environment for the orderly growth of generation of electricity in accordance with the provisions of the Electricity Act, 2003 (the “Act”);

Whereas it is incumbent upon the Central Government, State Governments, Electricity Regulatory Commissions and the distribution licensees to promote competition in the procurement of electricity through competitive and transparent processes;

Whereas the Central Government has, after extensive consultations with various stakeholders and experts, evolved a model contractual framework for procurement of electricity by the distribution licensees from power producers who agree to construct and/or operate power generating stations set up on ‘Finance, Own and Operate (‘FOO’)

Whereas, the Central Government has, vide its letter No. 23/17/2013-R&R (Vol-III) dated 20th February, 2014, issued the model documents comprising the Model Request for Qualification (the “MRFQ”), the Model Request for Proposals (the “MRFP”) and the Model Agreement for Procurement of Peaking Power (the “MAPPP”) (collectively, the “Model Bidding Documents”) to be adopted by distribution licensees for procurement of peaking power for medium term from the aforesaid power producers through a process of open and transparent competitive bidding based on offer of the lowest tariff from power generating stations constructed and/or operated on FOO basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 63 of the Electricity Act, 2003, the Central Government notifies these guidelines to be known as the ‘Guidelines for Procurement of Peaking Power for medium term from Power Stations set up on Finance, Own and Operate (FOO) basis (the “Guidelines”). These Guidelines shall come into effect from the date hereof subject to the following terms and conditions:

1. The terms and conditions specified in the Model Bidding Documents referred to hereinabove shall, by reference, form part of these Guidelines and shall be treated as such.
2. The application of these Guidelines shall be restricted to projects constructed and/or operated in accordance with an Agreement for procurement of peaking power for a period between one and five

years, with a provision for extension of this period for the lower of 25% of the initial contract period and one year, with mutual consent.

3. The tariff determined through the bidding process based on these Guidelines comprising the Model Bidding Documents shall be adopted by the Appropriate Commission in pursuance of the provisions of Section 63 of the Act.
4. Any deviation from the Model Bidding Documents shall be made only with the prior approval of the Central Government. Provided, however, that any project specific modifications expressly permitted in the Model Bidding Documents shall not be construed as deviations from the Model Bidding Documents.
5. The 'Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees' issued on 19th January, 2005, as amended from time to time, including the standard bidding documents for Case-1 and Case-2 projects are hereby repealed in so far as they relate to procurement of peaking power for medium term. Provided, however, that any agreements signed or actions taken prior to the date hereof shall not be affected by such repeal of the said guidelines of 2005 and shall continue to be governed by the guidelines repealed hereunder.

JYOTI ARORA, Jt. Secy.